न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 07/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अजय कुमार त्रिपाठी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर।		1 कानाराम पुत्र राम नारायण प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेलवे स्टेशन, मेडतारोड (राजस्थान) घर का पताः– बाईपुरा ईदगाह रोड, देव नारायण मंदिर के पास मेडतारोड नागौर (राजस्थान) 2 प्रेम चंद, बाईपुरा ईदगाह रोड, देव नारायण मंदिर के पास, मेडतारोड नागौर (राजस्थान) 3 Tarun Sharma village parasrampura, P.O.-Sargoth Near RIICO Overhead Tank, Shree Khatu Shyam ji RIICO Industrial Area, Reengus- 332404 Distt- Sikar- Rajasthan 4 Dharampal Satyapal Limited Sargoth Near RIICO Overhead Tank, Shree Khatu Shyam ji RIICO Industrial Area, Reengus- 332404 Distt- Sikar- Rajasthan

आदेश दिनांक :20.02.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 17-01-2023 को मैसर्स प्रेम चंद टी स्टाल, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेलवे स्टेशन, मेडता रोड पर खाद्य पदार्थ Kesar Flavoured Milk (Ksheer brand) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. NWR- 988 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/96/एक्ट/2023/139 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ Kesar Flavoured Milk (Ksheer brand) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण कानाराम पुत्र राम नारायण प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेलवे स्टेशन, मेडतारोड (राजस्थान), प्रेम चंद, बाईपुरा ईदगाह रोड, देव नारायण मंदिर के पास, मेडतारोड नागौर (राजस्थान), Tarun Sharma village parasrampura, P.O.-Sargoth Near RIICO Overhead Tank, Shree Khatu Shyam ji RIICO Industrial Area, Reengus- 332404 Distt- Sikar- Rajasthan तथा Dharampal Satyapal Limited Village Parasrampura, P.O.-Sargoth Near RIICO Overhed Tank, Shree Khatu shyam Ji RIICO Industrial Area, Reengus- 332404 Distt,- Sikar-Rajasthan जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 24-01-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने दिनांक 20.02.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि हम मैसर्स प्रेमचद्र टी स्टॉल का मालिकाना हक रखते है। मेरी दूकान प्लेटफार्म नम्बर 2 मेडता रोड पर है अप्रार्थी संख्या 01 व 02 दोनो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के सेक्सन 46 के सब सेक्सन 4 व नियम 02.04.06 के सैम्पल नम्बर NWR- 988 मामले के उक्त एवं आश्यक कार्यवाही के मामले में मेरे पास के सभी अधिकार मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड के कर्मचारी श्री तरूण शर्मा को देता हूं। आगे से सम्स्त अधिकार तरूण शर्मा के पास रहेंगे तथा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मैसर्स प्रेमचंद की स्टाल , प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेलवे स्टेशन, मेडता रोड से Kesar Flavoured Milk (Ksheer brand) का सैम्पल लिया था जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त Kesar Flavoured Milk (Ksheer brand) हमारी फर्म द्वारा ही बेचा गया था। भविष्य में Kesar Flavoured Milk (Ksheer brand) बेचते समय ध्यान रखेगें। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते है। श्रीमान् से निवेदन है कम से कम जुर्माना लगाकर दोषमुक्त करने की कृपा करावे।

२०/२/२५

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

3.पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/96/एक्ट/2023/139 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ Kesar Flavoured Milk (Ksheer brand) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01. कानाराम पुत्र राम नारायण प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेलवे स्टेशन, मेडतारोड (राजस्थान), अप्रार्थी संख्या 02 प्रेम चंद, बाईपुरा ईदगाह रोड, देव नारायण मंदिर के पास, मेडतारोड नागौर (राजस्थान), अप्रार्थी संख्या 03 Tarun Sharma village parasrampura, P.O.-Sargoth Near RIICO Overhead Tank, Shree Khatu Shyam ji RIICO Industrial Area, Reengus- 332404 Distt- Sikar- Rajasthan तथा, अप्रार्थी संख्या 04 Dharampal Satyapal Limited Village Parasrampura, P.O.-Sargoth Near RIICO Overhed Tank, Shree Khatu shyam Ji RIICO Industrial Area, Reengus- 332404 Distt,- Sikar-Rajasthan पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/23

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)